

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
मंडल कारा, खगड़िया।

पटना, दिनांक-।।।/...३./ 2017।

विषय:-मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, मांग सं0-22, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0002 जिला जेल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में वेतनादि (वेतन, जीवन यापन भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं अन्य भत्ता) मदों की निकासी हेतु ₹12,71,000 (बारह लाख एकहत्तर हजार रुपये मात्र) का अतिरिक्त आवंटन।

विपत्र कोड-N-2056001010002

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी0एस0जी0-18/2016-423/वि. दिनांक-31.03.16 पत्रांक-एम0-4-09/2014-4572/वि0 दिनांक-03.06.2016, ज्ञाप संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 एवं अधीक्षक, मंडल कारा, खगड़िया से प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु वेतनादि (वेतन, जीवन यापन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, अन्य भत्ता) मदों में व्यय हेतु द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि मंडल कारा के सामने अंकित राशि का अतिरिक्त आवंटन निम्नरूपेण स्वीकृत किया जाता है :-

| क्र | कारा का नाम | कूट सं0 एवं मद | पूर्व का आवंटन | वर्तमान आवंटन | कुल आवंटन | शब्दों में |
|-----|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1 | मंडल कारा, खगड़िया | 01 01 वेतन | 4090000 | 628000 | 4718000 | सैंतालीस लाख अठारह हजार रुपये मात्र |
| | | 0103-जीवनयापन भत्ता | 5574000 | 582000 | 6156000 | एकसठ लाख छप्पन हजार रुपये मात्र |
| | | 0106-चिकित्सा भत्ता | 79000 | 11000 | 90000 | नब्बे हजार रुपये मात्र |
| | | 01 07-अन्य भत्ता | 26000 | 50000 | 76000 | छिहत्तर हजार रुपये मात्र |
| | | कुल योग | 9769000 | 1271000 | 11040000 | एक करोड़ दस लाख चालीस हजार रुपये मात्र |

(बारह लाख एकहत्तर हजार रुपये मात्र)

2. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञाप-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 की कंडिका 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का एवं वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। इन कंडिकाओं के अनुपालन में आप स्वयं संतुष्ट हो लें कि स्थापना मदों में केवल स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए नियमानुसार निकासी की जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष-2056-जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0002 जिला जेल के तहत होगा। काराधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि विपत्रों पर मांग संख्या-22 विपत्र कोड-एन-2056001010002 में अंकित कूट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, अन्यथा संबंधित कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय।

4. विभागीय आवंटनादेश संख्या-106 दिनांक-20.02.2017 द्वारा निर्गत आदेश का क्रमांक-14 में कूट संख्या-28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में पूर्व का आवंटन ₹75,25,000 वर्तमान आवंटन ₹5,00,000 कुल ₹80,25,000 पढ़ा जाए।

पद्मदेव राम मों. जमाबुद्दीन खंसायी
उठ पढ़ा

रा. नि. नि. नि.
उप नि. नि. नि. (व. ग. ए.)